न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 20 / 2024

वादीगण :—	बनाम	प्रतिवादी :—
1. जयराम पुत्र भगाराम 2. रामदयाल पुत्र भगाराम 3. केलीदेवी पत्नी कानाराम तमाम जातियान सिरवी निवासीगण उदेशी कुंआ तहसील सोजत जिला पाली राज0		1. धर्माराम पुत्र भगाराम जाति सिरवी निवासी उदेशी कुंआ तहसील सोजत जिला पाली 2. दलाराम, 3. पन्नाराम 4. गणपत 5. मोती पिसरान कानाराम जतियान सीरवी उदेशी कुंआ तह0 सोजत 6. तहसीलदार सोजत, तहसील कार्यालय, सोजत जिला पाली

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955

उपस्थितिः—

1. श्री गजेन्द्र दवे वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

—:निर्णय :— दिनांक — 07/11/2024

अधिवक्ता वादी मय वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम उदेशी कुआं तहसील सोजत में खसरा संख्या 12 रकबा 1.3800 हैक्टर, खसरा संख्या 14 रकबा 0.6300 हैक्टर, खसरा संख्या 15 रकबा 0.6200 हैक्टर, खसरा संख्या 59 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा संख्या 60 रकबा 0.1500 हैक्टर, खसरा संख्या 61 रकबा 1. 1300 हैक्टर, खसरा संख्या 64 रकबा 1.7900 हैक्टर, खसरा संख्या 66 रकबा 1.1700 हैक्टर कुल खसरा 08 कुल रकबा 0.8900 हैक्टर कृषि भूमि आई हुई स्थित है। सरहद मौजा उदेशी कुंआ तहसील सोजत में खसरा संख्या 10 रकबा 0.4200 हैक्टर, खसरा संख्या 13 रकबा 1. 3000 हैक्टर, खसरा संख्या 58 रकबा 1.0900 हैक्टर, खसरा संख्या 62 रकबा 0.6000 हैक्टर कुल खसरा 04 कुल रकबा 3.4100 हैक्टर कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता तथा प्रार्थी संख्या 3 के ससूर तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता व अप्रार्थी संख्या 2 सें 5 के दादा भगाराम जी की हक हकूक खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि थी, जिनके स्वर्गवास के पश्चात् फौतेदगी नामान्तरण दर्ज किया जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी इन्द्राज की गई। भगाराम जी के स्वर्गवास के पश्चात् उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी संख्या 1, 2 व अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हक

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

हिस्सा खातेदारी, कब्जा काश्त का आता है तथा प्रार्थी संख्या 3 व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 का 1/20–1/20 खातेदारी कब्जा काश्त का आता है, जिसके अनुसार उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीगण का व अप्रार्थीगण का हिस्सा दर्ज किया जाना आवश्यक एवम् न्याय संगत है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के समक्ष श्रीमान के न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 226/2017 तथा 230/2017 में पारित निर्णय दिनांक 25/05/2017 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी, जो राजस्व अपील संख्या 46/2023 तथा 50/2023 बअनवान जयराम बनाम धर्माराम वगैरा दर्ज की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर दिनांक 10/10/2023 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 50/2023 को राजस्व अपील संख्या 46/2023 के साथ कंसुलीट्रेट (समायोजित) करते हुये प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य हुये राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया गया। श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 10/10/2023 को उक्त निर्णय पारित करते हुये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे को न्याय हित में स्वीकार किया जाकर राजीनामे की लिखत इबारत निर्णय का अभिन्न अंग मानते हुये प्रार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर श्रीमान के न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि निर्णय व डिक्री दिनांक 25/05/2017 को अपास्त किया जाकर राजीनामे के आधार पर पुनः निर्णय पारित करे तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 07/11/2023 को उपस्थित होने हेतु आदेश पारित किये गये, जिस आदेश की पालना में प्रार्थीगण के अधिवक्ता एवम् अप्रार्थीगण के अधिवक्ता आज हाजिर न्यायालय उपस्थित है, इसलिये राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये निर्णय की पालना में माफिक राजीनामा लिखत दिनांक 10/10/2023 के अनुसार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक एवम् न्याय संगत है। अप्रार्थीगण की और से श्री अधिवक्ता अर्जुन चौहान ने वकालत नामा पेश कर माफिक राजीमाना अनुसार डिक्री किये जो की ईश्तदुआ की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। चुकि माननीय राजस्व अपील अधिकारी पाली द्वारा हाजा न्यायालय के प्रकरण संख्या 226/17 एवं 230/17 में पारित आदेश व डिक्री को अपास्त कर माफिक राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जाने के निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया है। अधिवक्ता वादी ने दोनो प्रकरणों को समेकित किये जाने का निवेदन किया। जिससे प्रकरण संख्या 226/17 एवं 230/17 को समेकित किया जाता है। प्रकरण में उभय पक्ष अधिवक्ता द्वारा माफिक राजीनामा वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। उभय पक्षो द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी, पाली के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा अनुसार " अपील संख्या 50/23, 46/23 में अपील अपीलाण्ट संख्या 01 का 1/4 हिस्सा, अपीलाण्ट

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

संख्या 02 का 1/4 हिस्सा, अपीलाण्ट संख्या 03 का 1/20 वां हिस्सा, रेस्पोडेण्ट 01 का 1/4 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायतं 05 प्रत्येक का 1/20, 1/20 हिस्सा माफीक राजीनामा अनुसार दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

—: आदेश :—

अतः बादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता हैं। सरहद मौजा ग्राम उदेशी कुँआ के खाता संख्यां 120, खसरा नम्बर 12 सहित कुल खसरा 08 रकबा 6.8900 हैक्टर, खसरा नम्बर 10, 13, 58, 62 रकबा 0.4200, 1.3000, 1.0900, 0.6000 की भूमि में जयराम का 1/4 हिस्सा, रामदयाल का 1/4 हिस्सा, केलीदेवी का 1/20 वां हिस्सा, धर्माराम का 1/4 हिस्सा, दलाराम, पन्नाराम, गणपत, मोती प्रत्येक का 1/20—1/20 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में माफिक राजीनामा इंद्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 07/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली